रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1049] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2005/आश्विन 8, 1927

No. 1049] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2005/ASVINA 8, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2005

सं. 89/2005-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1428(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै. टै.) में और आगे एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्रम सं.	अध्याय शीर्ष या उपशीर्ष	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर) (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	कच्चा पाम तेल	402
2.	1511 90 10	आर बी डी पाम तेल	420
3.	1511 90 90	अन्य—पाम तेल	411
4.	1511 10 00	कच्चा पामोलिन	418
5.	1511 90 20	आर बी डी पामोलिन	430
6.	1511 90 90	अन्य—पामोलीन	424
7.	1507 10 00	कच्चा सोयाबीन तेल	508
8.	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी श्रेणी)	1981"

[फा. सं. 467/78/2001-सीमा शुल्क-V (भाग)]

एस. पी. राव, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना, दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.) [का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001] के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार उसे दिनांक 16 सितम्बर, 2005, की अधिसूचना सं. 79/2005-सीमा शुल्क (गै. टै.) [का.आ. 1327 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2005] के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2005

No. 89/2005-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 1428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Cus (N.T.), dated, the 3rd August 2001, namely :—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

"TABLE

S. No.	Chapter heading or sub-heading	Description of goods	Tariff value US $ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	Crude Palm Oil	402
2.	1511 90 10	RBD Palm Oil	420
3.	1511 90 90	Others—Palm Oil	411
4.	1511 10 00	Crude Palmolein	418
5.	1511 90 20	RBD Palmolein	430
6.	1511 90 90	Others—Palmolein	424
7.	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	505
8.	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	1981"

[F. No. 467/78/2001-Cus. V (Pt)]

S. P. RAO, Under Secy.

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 36/2001-Cus. (N. T.), dated, the 3rd August, 2001 [S.O. 748 (E), dated, the 3rd August, 2001] and was last amended *vide* Notification No. 79/2005-Cus (N. T.), dated, the 16th September, 2005 [S. O. 1327 (E), dated, the 16th September, 2005].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.